न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जमवारामगढ़, जिला जयपुर

बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
153/2021	06/12/2021	09.02.2024

– उनवान –

1. भोरीलाल पुत्र स्व0 प्रताप
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 प्रताप
3. रामकरण पुत्र स्व0 प्रताप

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
श्री सत्यपाल गुर्जर – वकील प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 179 ग्राम सामरेड कलां में स्थित है जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त दर्ज की जा रही है जो भूमि पूर्व में शामलाती खातेदारी भूमि रही थी जो भगवाना पुत्र परागा हिस्सा 1/2, प्रताप पुत्र मांगू हिस्सा 1/4, मूल्या पुत्र मांगू हिस्सा 1/4 के अनुसार नाम थी जिन्होने दिनांक 18.05.1993 को ग्राम पंचायत सामरेड कलां में आयोजित सिविर में सहमति से तकासमा करवा लिया था जिसमें तकासमा अनुसार विभाजन पत्र में प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में खसरा नम्बर 178/2, 179/6, 179/8 और 179/10 आये तथा मूल्या के हिस्से में खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7, 179/9 आये जिसके अनुसार ही प्रार्थीगण आज तक भी कब्जा काश्त चले आ रहे है। लेकिन सिविर में उक्त विभाजन को नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थीगण के नाम गलती से खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7, 179/9 दर्ज कर दी तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 179/2, 179/6, 179/8 और 179/10 मूल्या के हिस्से में दर्ज कर दिये गये। जो कि एक शिविर के दौरान लिपिकीय त्रुटिवश गलत दर्ज हो गये जिसको बाद में प्रार्थीगण को उनके पिता के देहान्त के बाद पता चला तो वह तहसील में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन आज तक उक्त दुरूस्ती नही हो पाई तथा अन्त में तहसीलदार महोदय ने कहा कि उक्त दुरूस्ती श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसार ही की जा सकती है जो आप किसी भी शिविर में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती करवा लेवे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर शिविर दिनांक 18.05.1993 में हुये विभाजन पत्र के अनुसार ग्राम सामरेड कलां में स्थित खसरा नम्बर 179/2, 179/6, 179/8, 179/10 प्रार्थीगण के नाम व खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7, 179/9 मूल्या के नाम दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि मुताबिक पूर्व ग्राम सामरेड कलां के खसरा नम्बर 179 प्रताप, मूल्या पि0 मांगू हि0 1/2 भगवाना पुत्र परागा हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर में आपसी सहमति से कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश कमांक/एल.आर./341 दिनांक 18.05.1993 से विभाजन पत्र स्वीकृत हुआ। यह कि उक्त नामा0 सं0 311 का अंकन मुताबिक विभाजन पत्रानुसार नही है। मुताबिक विभाजन पत्र ख0न0 179/2, 179/6, 179/8, 179/10 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा प्रतापा पुत्र मांगू दर्ज है जबकि नामा0 सं0 311 में उक्त खसरा नम्बर मूल्या पुत्र मांगू के दर्ज रिकार्ड है। जो मुताबिक विभाजन पत्र के सही नही है। मुताबिक

विभाजन पत्र के खसरा नम्बर 179/2, 179/6, 179/8, 179/10 कुल खसरा नम्बर 04 रकबा 2.38 हाल खातेदार मूल्या पुत्र मांगू हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर के बजाय भौरीलाल हि0 1/4, रामकरण हि0 1/2, रामेश्वर हि0 1/4 पिता प्रताबा जाति गुर्जर सा0 देह प्रतिस्थापित किया जा कर दुरूस्त किया जाना उचित है। जबकि खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7, 179/9 कुल खसरा नम्बर 4 रकबा 2.3773 हाल खातेदार भौरीलाल पुत्र प्रताबा हि0 1/4, रामकरण पुत्र प्रताबा हि0 1/2, रामेश्वर पुत्र प्रताबा हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0देह के बजाय मूल्या पुत्र मांगू जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा0देह को प्रतिस्थापित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः मुताबिक विभाजन पत्र के हाल जमाबन्दी संवत् 2076 के खाता संख्या 214 के खातेदारों के स्थान पर खाता सं0 170 के खातेदार व खाता सं0 170 के खातेदारों के स्थान पर खाता सं0 214 के खातेदारों को प्रतिस्थापित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ के आदेश कमांक/21/2070–72 दिनांक 04.10.2021 व तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश कमांक/एल.आर./6018 दिनांक 05.10.2021 की पालना में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में संलग्न प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक विभाजन पत्र के हाल जमाबन्दी संवत् 2076 के खाता संख्या 214 के खातेदारों के स्थान पर खाता सं0 170 के खातेदार व खाता सं0 170 के खातेदारों के स्थान पर खाता सं0 214 के खातेदारों को प्रतिस्थापित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ